

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 260 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1974**

In the Court of...: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदयपुरा, जिला रायसेन

Case No. SUM/86 of 2022

Complaint or report made on.....

Name

अपराध क्रमांक:- **121 / 2022**

and address of the complainant **पुलिस थाना देवरी**

Name, parentage, caste and address of accuse

(1) अभियुक्त:- आदित्य, आत्मज-राजेन्द्र, उम्र 19 वर्ष,
निवासी- ग्राम पांजरा, थाना-देवरी,
जिला-रायसेन म.प्र.।

The offence complained of, and date of, its alleged commission:-

आप अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग है कि दिनांक 09.10.2022 को समय 17:00 बजे, स्थान ग्राम पांजरा, अंतर्गत थाना देवरी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बगैर अनुज्ञप्ति के 18 क्वार्टर देशी प्लेन शराब रखे हुये थे, जो आपके कब्जे से जप्त हुई हैं। इस प्रकार आपका अपराध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत दंडनीय है।

क्या आपको अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

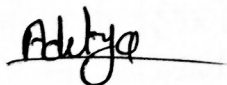

(वरुण चौहान)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उदयपुरा, जिला रायसेन म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any):-

अभियुक्त का अभिवाक है कि:-

अपराध करना अवैध रूप से स्वीकार है:-




(वरुण चौहान)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उदयपुरा, जिला रायसेन म.प्र.

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of Sub-section (i) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

न्यायालय:- वरुण चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उदयपुरा,
जिला-रायसेन (म0प्र0)

आर.सी.टी. कमांक-६०/2022



म0प्र0 राज्य विरुद्ध आदित्य

॥ निर्णय ॥

(आज दिनांक 18/10/2022 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त आदित्य को दंड की चेतावनी के बाद भी स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार किये जाने के कारण उसे धारा 34 (1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दण्डित किये जाने हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।
2. अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के लिये रुपये 900/- (नौ सौ रुपये) के अर्थदंड सहित आज न्यायालय समाप्त होने तक के कारावास से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।
3. प्रस्तुत जमानत मुचलके, यदि कोई हो तो, उन्मोचित किये जाते हैं।
4. प्रकरण में जप्तशुदा शराब अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे एवं अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मुद्रांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर टंकित।


(वरुण चौहान)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उदयपुरा, जिला रायसेन म.प्र.


(वरुण चौहान)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
उदयपुरा, जिला रायसेन म.प्र.